GICMS 10-

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी,बाली,जिला–पाली (राजस्थान)

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 550 दिनांक : 14-05-2024

आदेश

ग्रामवासी सेवाडी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर तहसीलदार बाली ने जांच कर निम्न वर्णित भूमि मौके पर आमजन के आवागमन के उपयोग में ली जाने से राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार नक्शे में व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई :–

क.स.	खसरा न.	रकबा(है.)	किस्म	खातेदार का नाम	रास्ते के उपयोग में आ रहा रकबा (है.)
1	1450	1.3500	चाही सोयम जाव सोयम	श्री शांति दर्शन गौशाला समिति सेवाडी	0.09
2	1451	1.0000	चाही सोयम	श्री शांति दर्शन गौशाला समिति सेवाडी	0.062
3	1452	0.5300	चाही सोयम	श्री शांति दर्शन गौशाला समिति सेवाडी	0.028

इस संबंध में राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार तहसीलदार बाली रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के आधार पर नामान्तरकरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा तथा निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परंतु नक्शे में व जमाबंदी में पृथक से खसरा नंबर दिया जायेगा व रास्ते के रेकर्ड सहित गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायेगा।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 में वर्णित प्रावधानों पर मनन के पश्चात राजस्व ग्रुप में वर्णित निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन व संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक के अनुरूप सार्वजनिक आम रास्ता जो कदीम से मौके पर चालू है, राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नक्शा को आदेश का भाग माना जावें। तहसीलदार बाली को आदेशानुसार उपरोक्त खसरा नंबर संबंधित खातेदार की खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नये बट्टा नंबर जारी करेंगें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
बाली

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 551-52 दिनांक : 14-05-2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को पालनार्थ।

1. तहसीलदार बाली
2. पटवारी, पटवार हल्का, सेवाडी

उपखण्ड अधिकारी,
बाली

ट्रेस नक्शा खिदरवर

ग्राम सेवाड़ी

तह० - बाली

जिला - पाली

S

पैमाना 1 cm = 40 मी०

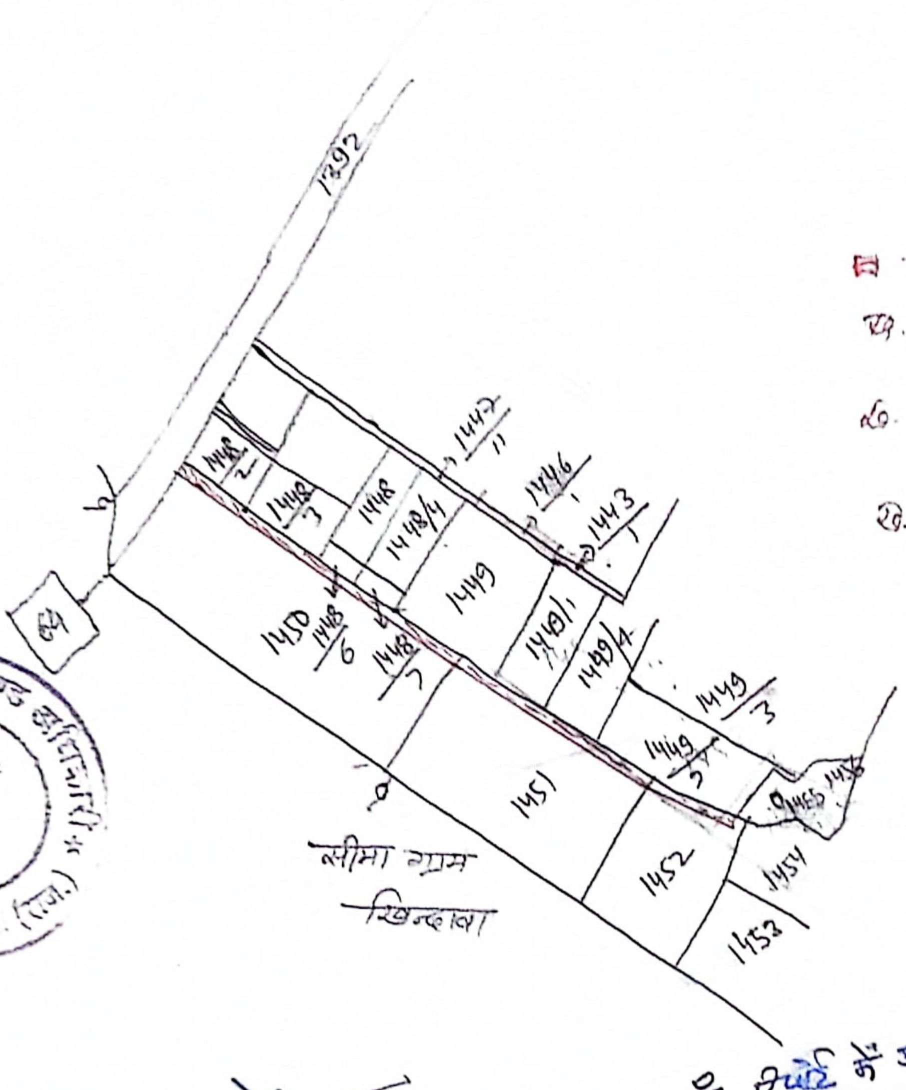

कदीमी रास्ता

ख.नं. 1450 में 180x5 = 900 m2

ख.नं. 1451 में 124x5 = 620 m2

ख.नं. 1452 में 56x5 = 280 m2

कुल रकबा = 1800 मी

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Ex Cont

तहसीलदार, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

जाँच रिपोर्ट में जावे

[illegible] (भू.अ.)

पटवार म[illegible] सेवाड़ी

तह.बाली, जि.पाली

7/2/29